संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

क्रमांक :- 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2019/एफ-114/ भोपाल, दिनॉक / / 2019

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश दिनॉक 1240 दिनॉक 05.12.2014 द्वारा श्रीमती मालती लाभान्ते, नर्सिंग सिस्टर जिला चिकित्सालय जिला धार को अनुसूचित जाति वर्ग में सिस्टर टयूटर के पद पर पदोन्नति दी गई थी। श्रीमती मालती लाभान्ते, नर्सिंग सिस्टर की जाति अन्य पिछडा वर्ग है, उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की पात्रता नही होने कारण श्रीमती मालती लाभान्ते की पदोन्नति निरस्त किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय करने हेतु विभागीय समिति द्वारा श्रीमती लाभान्ते को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समस्त मूल दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने के लिये निर्देशित किया । श्रीमती मालती लाभान्ते अपना पक्ष रखने के लिये दिनॉक 08.07.2019 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु प्रसांगिक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुई।

डॉ श्रीमती वीणा सिन्हा संयुक्त संचालक, अध्यक्ष विभागीय समिति द्वारा श्रीमती मालती लाभान्ते को प्रकरण की पूर्ण स्थिति से अवगत कराया । सुनवाई के दौरान श्रीमती मालती लाभान्ते ने बताया कि उनकी जाति अनुसूचित जाति नही, बल्कि अन्य पिछडा वर्ग है, इस हेतु उन्होनें अनुभाग अधिकारी तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत की । श्रीमती मालती लाभान्ते को बताया गया कि पदोन्नति निरस्त होने की स्थिति में उन्हें यदि अधिक राशि भुगतान की गई हो तो उसकी वसूली की जायेगी। श्रीमती मालती लाभान्ते ने भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पत्र पर सहमति दी की उनकी पदोन्नति निरस्त की जाती है तो उन्हें मान्य है।

समिति का स्पष्ट मत है कि श्रीमती मालती लाभान्ते द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र एवं नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दी गई सहमति अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की पात्रता नही होने से अनुसूचित जाति वर्ग में सिस्टर टयूटर के पद पर दी गई पदोन्नति नियमानुसार नही है। एतद द्वारा श्रीमती श्रीमती मालती लाभान्ते, नर्सिंग सिस्टर की पदोन्नति निरस्त कर उन्हें पुनः स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ किया जाता है।

//स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित //

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल-1/2019/ एफ-114/ 1062 भोपाल, दिनॉक 20/8/ 2019

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2.स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश
3.संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश
4.क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर मध्यप्रदेश
5.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार मध्यप्रदेश
6.सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला धार
7.जिला कोषालय अधिकारी,जिला धार
8. श्रीमती मालती लाभान्ते, नर्सिंग सिस्टर जिला चिकित्सालय जिला धार की ओर पालनार्थ।
9.प्रभारी एम.आइ.एस, स्थानीय कार्या. उक्त आदेश को विभागीय साइड पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
10.आदेश नस्ती

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश